प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 17.01.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2025 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/3(5)/115(2)/61(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता इसराइल पुत्र बदरूदूजा निवासी भरपूरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

इसराइल पुत्र बदरूदूजा निवासी भरपूरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

विदित हो कि वादी अमानुल्लाह खान पुत्र नईम खान निवासी भरपूरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 25.02.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनाँक 25.02.2025 को वादी व वादी के पुत्र को घर से दुकान जाते समय रास्ते में गड़सपार चौराहे के पास गाड़ी रोककर मारपीट की गई थी। घटना में वादी का पुत्र गंभीर रूप से घायल होने के कारण जिला अस्पताल संतकबीरनगर भर्ती कराया गया था जिसे इलाज के दौरान डॉ0 द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्त को आज दिनाँक 17.01.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- अपराध निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा चार पहिया वाहन व मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत डीघाबइपास से कालर द्वारा चार पहिया वाहन व मोटरसाईकिल के आपस में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 01व्यक्ति (01.दीपेश पुत्र लालबहादुर निवासी बेलवनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 शिवम जायसवाल, हो0गा0चा0 शिवदास।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 138 वाहनों से 1,39,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 17.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 138 वाहनों से 1,39,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।